कार्यालय मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखण्ड

(उत्तराखण्ड स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण समिति, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन)
डाण्डा लखौण्ड, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून –248001
ई.मेल:- mdnhmuk@gmail.com फोन/फैक्स 0135-2608646

पत्रांक– UKHFWS/NHM/NCD/2016/NTCP COTPA 2003/37 दिनांक: 15/04/2020

सेवा में,

समस्त जिला अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

विषय– **COVID-19 संक्रमण के बचाव हेतु सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान एवं धूम्रपान रहित तम्बाकू के थूकने पर प्रतिबन्ध के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या–Z.21020/19/2020-TC, दिनांक 10.04.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें (छायाप्रति संलग्न)। जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, भारत सरकार द्वारा आमजनमानस में 'Not to consume and spit Smokeless Tobacco in Public' हेतु अपील की गयी है। अपील में "Chewing Smokeless Tobacco Products, Paan masala and areca nut (supari) increases the producton of saliva followed by a very strong urge to spit. Spitting in public places could enhance the spread of the COVID-19 virus" का उल्लेख किया गया है।

जैसा कि आप अवगत ही हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) को विश्वव्यापी महामारी घोषित किया गया है। उत्तराखण्ड राज्य में कोरोना से संक्रमित मरीजों की सख्या मे वृद्धि हो रही है। COVID-19 एक संक्रामक बीमारी है जो छीकने, खांसने, बोलने या थूकने की प्रक्रिया में मुख या नाक से निकलने वाले ड्रोपलेट के माध्यम से फैलता है।

भारतीय दण्ड संहिता (IPC) की धारा 268 या 269 के अनुसार कोई भी व्यक्ति यदि ऐसा विधि विरूद्ध अथवा उपेक्षापूर्ण कार्य करेगा जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना संभाव्य हो, उस व्यक्ति को छः माह की अवधि तक का कारावास से दंडित किया जा सकता है।

सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पादन अधिनियम (कोटपा) 2003 की धारा–4 के अनुसार सभी सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है। प्रतिबंधित स्थलों पर धूम्रपान निषेध का उल्लंघन करने पर दण्डस्वरूप रूपया 200/– तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। **उत्तराखण्ड कूडा फेकना एवं थूकना प्रतिषेध अधिनियम 2016 की धारा 3 (ञ) को परिभाषित करते हुए धारा–4 (झ)** को थूकने को अपराधिक कृत्य माना गया है व धारा 9 के अनुसार दोषसिद्ध होने पर अधिकतम रू0 5000/– अर्थदण्ड या 06 मास के कारावास या दोनों से दण्डित किया जा सकता है।

अतः जन–स्वास्थ्य की रक्षा के लिए राज्य के सभी सरकारी/गैर–सरकारी कार्यालय एवं परिसर, सभी शैक्षणिक संस्थानों एवं परिसर तथा सभी थाना एवं परिसर, सार्वजनिक स्थल विधि के प्रावधनों के अनुसार किसी भी प्रकार का तम्बाकू पदार्थ यथा सिगरेट, बीडी, खैनी, गुटखा, पान मसाला, जर्दा इत्यादि का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। यदि कोई भी व्यक्ति विधि के उपरोक्त नियमों का उल्लंघन करते हैं तो संबंधितों के विरूद्ध संगत धाराओं में न्यायिक कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करेंगे।

संलग्नः–यथोपरि।

भवदीय

(युगल किशोर पन्त) भा0प्र0से0
मिशन निदेशक

Scanned by CamScanner
Scanned with CamScanner

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. प्रभारी सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड।
2. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड।
3. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश का सख्ति से अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु सभी थानाध्यक्ष प्रभारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
4. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून।

14/4/20

(युगल किशोर पन्त) भा0प्र0से0
मिशन निदेशक

Scanned by CamScanner
Scanned with CamScanner